देवेश यादव बनाम श्रीमती मिनल

रितु बहरी और अशोक कुमार वर्मा, न्यायधीश

देवेश यादव-अपीलकर्ता

बनाम

श्रीमती मिनल-प्रतिवादी

एफ. ए. ओ.-एम. सं. 208/2013

8 अप्रैल, 2022

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955-धारा 13-पति को तलाक का अनुदान-असाधारण-अधिकार क्षेत्र-आयोजित, पक्षों के बीच अलगाव पर्याप्त समय तक जारी रहा और एक मजबूत धारणा है कि विवाह टूट गया है-एक विवाह जो लंबे समय से प्रभावी नहीं रहा है वह पक्षों के लिए अधिक दुख का स्रोत होना तय है-पत्नी को 20,00,000/-रुपए की स्थायी गुजारा भत्ता के साथ तलाक दिया गया-पति द्वारा तलाक के अनुदान के लिए अपील की अनुमति है।

माना जाता है कि यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि एक बार जब पक्ष अलग हो जाते हैं और पर्याप्त समय तक अलगाव जारी रहता है और उनमें से किसी ने भी तलाक के लिए याचिका प्रस्तुत की है, तो यह अच्छी तरह से माना जा सकता है कि विवाह टूट गया है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय को पक्षों के बीच सुलह करने का गंभीरता से प्रयास करना चाहिए; फिर भी, यदि यह पाया जाता है कि टूटना अपूरणीय है, तो तलाक को नहीं रोका जाना चाहिए।लंबे समय से प्रभावी नहीं रहने वाले अव्यवहारिक विवाह के कानूनी संरक्षण के परिणाम पक्षों के लिए अधिक दुख का स्रोत होने के लिए बाध्य हैं।

(पैरा 34)

अपीलकर्ता-पति की ओर से अधिवक्ता गुरप्रीत सिंह।गौतम दीवान, प्रतिवादी-पत्नी के अधिवक्ता

अशोक कुमार वर्मा, जे।

(1) अपीलार्थी-पति इस न्यायालय के समक्ष अपील में आया है जिसमें जिला न्यायाधीश, रोहतक द्वारा पारित दिनांक 26.02.2013 के निर्णय और डिक्री को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें उसके द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की खंड 13 (संक्षेप में 'एच. एम. ए.') के तहत तलाक की डिक्री द्वारा विवाह को भंग करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी-पति ने एच. एम. ए. की खंड 13 के तहत देव यादव बनाम एस. एम. टी. द्वारा विवाह के विघटन के लिए याचिका दायर की थी। जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि पक्षों के बीच विवाह 19.11.1998 पर किया गया था और इसे रोहतक में 23.11.1998 पर पंजीकृत किया गया था।विवाह के समय, अपीलार्थी-पति श्रीनगर में तैनात थे और वे मार्च,

2000 तक वहाँ रहे।प्रत्यर्थी-पत्नी ने जोर देकर कहा कि बच्चे का प्रसव रोहतक में होना चाहिए, इसलिए, अपीलकर्ता ने उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और वे रोहतक चले गए, जहाँ उन्हें एक बेटे का आशीर्वाद मिला, जिसका नाम जलज था।इसके बाद, अपीलकर्ता को जम्मू स्थानांतरित कर दिया गया और पक्षकार अप्रैल, 2002 तक वहां एक साथ रहे।अपीलकर्ता सितंबर, 2002 तक जम्मू में तैनात रहा और फिर उसे लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया।अपीलार्थी-पति द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि विवाह की शुरुआत से ही प्रतिवादी-पत्नी का आचरण, व्यवहार और रवैया क्रूर, अनुचित और कठोर था और वह बिना किसी उचित कारण के छोटी-मोटी बातों पर झगड़ा करती थी।प्रतिवादी ने अप्रैल, 2002 में अपीलकर्ता को छोड़ दिया और तब से वह वैवाहिक घर नहीं लौटी थी, जबकि अपीलकर्ता हमेशा प्रतिवादी और उसके बेटे को प्यार और स्नेह देता रहा था। दिसंबर, 1999 की शुरुआत में अपीलकर्ता प्रतिवादी को अपने बेटे के साथ श्रीनगर में अपनी पोस्टिंग के स्थान पर ले गया था और प्रतिवादी के अनुरोध पर उसकी माँ को भी वहाँ ले जाया गया था और अपीलकर्ता ने प्रतिवादी, उसकी माँ और बेटे को उचित भोजन, कपड़े और हर अच्छी आवास सुविधा प्रदान की थी। दिसंबर, 1999 के मध्य में, प्रतिवादी को स्तन में फोड़ा हो गया और उसका इलाज श्रीनगर के सैन्य अस्पताल में किया गया और उसका ऑपरेशन किया गया। दिसंबर, 1999 में, प्रतिवादी का फिर से पीजीआईएमएस, रोहतक में ऑपरेशन किया गया, क्योंकि उक्त बीमारी फिर से विकसित हो गई थी।अप्रैल, 2002 में, प्रतिवादी रोहतक में अपने माता-पिता के घर गई और उसके बाद अपीलकर्ता के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, वह अपने वैवाहिक घर नहीं लौटी।अपीलकर्ता ने अपनी पोस्टिंग के स्थान से प्रतिवादी और उसके माता-पिता से प्रतिवादी और उसके बेटे को उसके पास भेजने का अनुरोध करते हुए कई पत्र भी लिखे थे, लेकिन वे व्यर्थ रहे।जब भी अपीलकर्ता रोहतक में छुट्टी पर आया और अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने की कोशिश की, तो प्रतिवादी के माता-पिता ने उसे उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी।बल्कि, प्रतिवादी का भाई पवन जब भी अपीलकर्ता अपने ससुराल जाता था, अपीलकर्ता के साथ दुर्व्यवहार करता था।अपीलकर्ता अप्रैल, 2006 में प्रतिवादी से भी मिला और उससे अपने साथ जाने का अनुरोध किया और उसे बताया कि उसने यात्रा के लिए सीटें बुक कर ली हैं, लेकिन उसने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया और धमकी दी कि अगर उसने उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की तो वह आत्महत्या कर लेगी।यह आगे आरोप लगाया जाता है कि प्रतिवादी अपने वैवाहिक कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रही और इसके बजाय उसने अपीलकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया, उस पर शारीरिक और मानसिक क्रूरता का कारण बना, वैवाहिक जीवन में सहयोग नहीं किया और उसके जीवन को नरक बना दिया।प्रतिवादी अपीलकर्ता के माता-पिता के प्रति कोई सम्मान देने में भी विफल रही।जब प्रतिवादी ने नौकरी करने की इच्छा व्यक्त की, तो अपीलकर्ता ने उसके अनुरोध पर सहमति व्यक्त की और उसने जुलाई, 2001 से मार्च, 2002 तक आर्मी पब्लिक स्कूल, जम्मू में काम किया था।चूंकि अपीलकर्ता द्वारा किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, प्रतिवादी वैवाहिक गृह में शामिल नहीं हुआ, इसलिए उसे 2006 की No.58 वाली तलाक याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।मामला लोक अदालत/मध्यस्थता को भेजा गया था।इन कार्यवाही के दौरान, प्रतिवादी ने

देवेश यादव बनाम श्रीमती मिनल

अपीलकर्ता द्वारा उक्त याचिका को वापस लेने पर वायु सेना के अधिकारियों के साथ-साथ वरिष्ठ वायु सेना अधिकारी के समक्ष रखरखाव के लिए दायर आवेदन को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की।21.12.2008 दिनांकित अलग-अलग बयानों के आधार पर मामले से समझौता किया गया था और अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था।अपीलकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि प्रतिवादी रोहतक में मातूराम इंजीनियरिंग और प्रबंधन संस्थान में गणित के व्याख्याता के रूप में काम कर रहा था।छुट्टियों के दौरान भी वह कभी भी अपीलकर्ता की कंपनी में शामिल नहीं हुई।दिनांक 21.12.2008 को अपने बयान में अदालत के समक्ष वचन देने के बावजूद, उन्होंने वरिष्ठ वायु सेना अधिकारी के समक्ष दायर अपनी शिकायत और रखरखाव आवेदन को वापस नहीं लिया था और अपीलकर्ता की नियुक्ति के स्थान पर ससुराल यानी एम. ई. टी. उड़ान वायु सेना स्टेशन, सिरसा (हरियाणा) में उनकी कंपनी में शामिल नहीं हुईं।इसलिए, अपीलकर्ता ने क्रूरता और त्याग के आधार पर तलाक की डिक्री की मांग की।

(3) प्रत्यर्थी-पत्नी ने अपीलकर्ता के साथ अपनी शादी और उनके विवाह से बेटे के जन्म के तथ्य को स्वीकार करते हुए याचिका का विरोध किया।प्रतिवादी ने इस बात से इनकार किया कि उसने जोर देकर कहा कि बच्चे का प्रसव रोहतक में होना चाहिए।इस बात से भी इनकार किया गया था कि शादी की शुरुआत से ही उसका आचरण, व्यवहार और रवैया क्रूर, अनुचित, कठोर था और वह बिना किसी अच्छे कारण और कारण के अपीलकर्ता के साथ झगड़ा करती थी।इस बात से भी इनकार किया गया कि उसने अप्रैल, 2002 में अपीलकर्ता को छोड़ दिया था, जबकि अपीलकर्ता ने उसके साथ मानसिक और शारीरिक क्रूरता की थी। दिसंबर, 1999 की शुरुआत में अपीलकर्ता द्वारा उन्हें श्रीनगर ले जाया गया और प्रतिवादी की माँ को उनके साथ जाना पड़ा क्योंकि उनकी और उनके बेटे की देखभाल करने के लिए कोई और नहीं था।वहाँ प्रतिवादी को दिसंबर, 1999 में स्तन फोड़े का सामना करना पड़ा, लेकिन अपीलकर्ता ने पुरुष कर्मचारी होने के नाते वायु सेना अस्पताल के डॉक्टरों से परामर्श करने से इनकार कर दिया और उस पर एक नर्स से परामर्श करने का दबाव डाला और देरी के कारण, प्रतिवादी को श्रीनगर आर्मी बेस अस्पताल में एक ऑपरेशन से गुजरना पड़ा और उसकी माँ को उसकी देखभाल करनी पड़ी।चूंकि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं, इसलिए उन्हें दिसंबर, 1999 में पी जी आई एम एस, रोहतक में एक और ऑपरेशन से गुजरना पड़ा।चूंकि उसकी सास ने उसकी देखभाल करने से इनकार कर दिया था, इसलिए, उसकी बहन उसकी देखभाल करने के लिए वहाँ रही और उसकी माँ ने बच्चे की देखभाल की।अपीलकर्ता ने ऐसे दर्दनाक क्षणों में उसके साथ शामिल होने के लिए उस समय छुट्टी का लाभ नहीं उठाया।मार्च में, 2000 प्रतिवादी वैवाहिक गृह में लौट आया और जम्मू में अपीलकर्ता की पोस्टिंग के स्थान पर गया, हालाँकि, अपीलकर्ता ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से चोट पहुँचाकर उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया।कई मौकों पर, प्रतिवादी को अपीलकर्ता द्वारा पीटा गया और 19 जून, 2000 की मध्यरात्रि में उसे ससुराल से बाहर निकाल दिया गया।अपीलकर्ता ने अपने चरित्र के बारे में झूठे आरोप लगाए।इसलिए, उसके भाई को मामले को निपटाने के लिए जम्मू आना पड़ा।1 अगस्त, 2000 को,

अपीलकर्ता ने अपना व्यवहार दोहराया और प्रतिवादी और उसके बेटे को जबरन उसके भाई के घर अंबाला में छोड़ दिया।वह नवंबर, 2000 में आया और प्रतिवादी और उनके बेटे को 18.11.2000 पर वापस ले गया।हालांकि, कुछ दिनों के बाद, अपीलकर्ता ने फिर से प्रतिवादी के साथ एक गुलाम की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया और कार खरीदने के लिए लिए गए अपने ऋण का भुगतान करने के लिए पैसे की मांग की।नतीजतन, प्रतिवादी को अपने माता-पिता के घर वापस जाना पड़ा क्योंकि ऐसे अलगाव में रहना संभव नहीं था जहां वह हर खिड़की को भी पर्दे से बंद रखने और किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करने के लिए मजबूर थी। रोहतक पहुँचने के बाद,यह पता चला की प्रतिवादीया फिर से गर्भित है,तो अपीलकर्ता ने उसे गर्भपात करवाने के लिए कहा क्योंकि उसका कहना था की ये बच्चा उसका नहीं है! उसके बाद अपीलकर्ता प्रतिवादी के घर गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगी।प्रतिवादी ने इस बात से इनकार किया कि उसने अपीलकर्ता को उसके बेटे जलज से मिलने की अनुमति नहीं दी।उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उन्होंने अप्रैल, 2002 से लगातार अपीलकर्ता की कंपनी को छोड़ दिया।वह अप्रैल, 2002 के बाद अपीलकर्ता की कंपनी में शामिल हो गईं और लखनऊ में एक साथ रहती थीं और उन्होंने अपने बेटे जलज के साथ इमामबाड़ा और लखनऊ के अन्य ऐतिहासिक स्थानों का दौरा किया।उन्होंने नैनीताल का भी दौरा किया और पिकनिक का आनंद लिया और उन स्थानों पर तस्वीरें खींची गईं।प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि उसके भाई की शादी फरवरी, 2003 में हुई थी और अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्य उक्त शादी में शामिल हुए थे।प्रतिवादी ने अपीलकर्ता द्वारा पहले तलाक याचिका दायर करने के तथ्य को स्वीकार किया, लेकिन समझौते के बाद, उसे वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया और उसके बाद प्रतिवादी अपीलकर्ता की कंपनी में शामिल हो गया।वह वायु सेना के अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत वापस लेने के लिए तैयार थी, हालांकि, अपीलकर्ता ने उसे अपनी पोस्टिंग के स्थान से बाहर कर दिया और उसे छोड़ दिया।यह आगे आरोप लगाया गया है कि वास्तव में अपीलकर्ता ने अपनी पिछली तलाक याचिका वापस ले ली थी क्योंकि वह चाहता था कि प्रतिवादी वायु सेना के अधिकारियों के समक्ष दायर शिकायत को वापस ले।अन्य सभी आरोपों से इनकार करते हुए, प्रतिवादी-पत्नी ने याचिका को खारिज करने की मांग की।

(4) अपीलार्थी-पति ने इसका विरोध करते हुए प्रतिकृति दायर की लिखित कथन की सामग्री और याचिका की सामग्री को फिर से प्रस्तुत किया गया।

(5) पक्षों की दलीलों से, परिवार न्यायालय द्वारा 07.01.2010 पर निम्नलिखित मुद्दे तय किए गए थेः-

“1. क्या याचिकाकर्ता क्रूरता, उत्पीड़न और त्याग के आधार पर तलाक की डिक्री का हकदार है, जैसा कि याचिका में आरोप लगाया गया है?ओपीपी

2. क्या वर्तमान याचिका विचारणीय नहीं है?ओ. पी. आर 3.क्या याचिकाकर्ता को अपने स्वयं के कार्य और आचरण से वर्तमान याचिका दायर करने से रोका गया है?ओ. पी. आर

4. क्या याचिकाकर्ता के पास वर्तमान याचिका दायर करने के लिए कोई कारन नहीं है?ओपीआर।

5. राहत ।

(6) अपना मामला साबित करने के लिए, अपीलार्थी-पति ने पी. डब्ल्यू. 1 के रूप में गबाही दी, इसके अलावा अपनी मां उषा यादव से पी. डब्ल्यू. 2 के रूप में पूछताछ की।उन्होंने अपना विधिवत शपथ पत्र Ex.PW1/A प्रस्तुत किया।

(7) दूसरी ओर, प्रतिवादी-पत्नी स्वयं अपने पिता भगत सिंह मलिक को आर. डब्ल्यू. 2 के रूप में जाँचने के अलावा आर. डब्ल्यू. 1 के रूप में पेश हुईं।उन्होंने अपना विधिवत शपथ पत्र Ex.RW1/A प्रस्तुत किया।

(8) परिवार न्यायालय ने अपीलकर्ता-पति के खिलाफ निष्कर्षों को वापस कर दिया है और प्रतिवादी-पत्नी के पक्ष में मुद्दा संख्या 1 का फैसला करते हुए कहा है कि अपीलकर्ता क्रूरता, उत्पीड़न और पलायन का आधार साबित करने में समर्थ नहीं था, जैसा कि याचिका में आरोप लगाया गया है।इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा दायर एच. एम. ए. की खंड 13 के तहत याचिका खारिज कर दी गई।

(9) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से तर्क दिया है कि एच. एम. ए. की धारा13 के तहत अपीलकर्ता-पति द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए परिवार न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और डिक्री गलत है और रिकॉर्ड पर सामग्री के विपरीत है क्योंकि वैवाहिक घर में रहने के दौरान, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार किया और उसने खुद अप्रैल, 2002 में बिना किसी उचित कारण के अपीलकर्ता-पति को छोड़ दिया।प्रतिवादी को उसके वैवाहिक घर में वापस लाने के अपीलकर्ता के प्रयास व्यर्थ गए क्योंकि उसने अपीलकर्ता-पति की कंपनी में शामिल होने से इनकार कर दिया था।विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि प्रतिवादी-पत्नी ने वायु सेना में अपीलार्थी-पति के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की, जिससे उनके साथ बहुत मानसिक क्रूरता हुई और उनका सेवा जीवन प्रभावित हुआ। विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी-पत्नी द्वारा दायर एक झूठी शिकायत पर, अपीलकर्ता-पति और उसके माता-पिता के खिलाफ पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस, रोहतक में भा.दं.सं. की धारा 498-ए, 406,313,323,506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।जाँच के दौरान, अपीलकर्ता के माता-पिता को निर्दोष पाया गया, जबकि अपीलकर्ता पर भा.दं.सं. सी. की धारा 498-ए, 406,313,323,506 के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया और वर्तमान अपील विचाराधीनता रहने के दौरान निचली अदालत ने अपीलकर्ता-पति के खिलाफ आरोपों को झूठा पाते हुए, उसे दिनांक 16.04.2015 (अनुलग्नक पी-ए) के फैसले के माध्यम से आरोपों से बरी कर दिया।अपीलकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने वाली झूठी शिकायत स्वयं प्रतिवादी द्वारा की गई क्रूरता है।इस प्रकार, विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि विवाह के सुलह की कोई संभावना नहीं है और विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है और वे पिछले लगभग 20 वर्षों (परिवार न्यायालय के आदेश की तारीख को 11 साल) से अलग रह रहे हैं, जिस पहलू पर नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और डिक्री पारित करते समय विचार नहीं किया गया है।उसकी दलीलों के समर्थन में,

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने के. श्रीनिवास राव बनाम डी. ए.दीपा (2013) के मामलों में निर्णय पेश किया। 5 उच्चतम न्यायालय के मामले 226; FAO 1767 of 2017-श्रीमती वीणा बनाम श्री नवीन निर्णय 23.09.2021 (P & H) ; 2008 का FAO-M-261-संतरो देवी बनाम विरेंद्र कुमार उपनाम विरेंद्र सिंह निर्णय 18.02.2015 (P & H) ; 2007 का FAO-326-सोमा बनर्जी बनाम सुभ्रोज्योति बनर्जी निर्णय 05.08.2009 (कलकत्ता उच्च न्यायालय) ; के. श्रीनिवास बनाम के. सुनीता, (2014) 16 उच्चतम न्यायालय के अदालती मामले 34 और 2012 की सिविल अपील संख्या 4905 विश्वनाथ बनाम सौ. सरला विश्वनाथ अग्रवाल निर्णय 04.07.2012 में निर्णय पेश किया।

(10) इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-पत्नी के विद्वान अधिवक्ता ने नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और डिक्री को सही ठहराने की मांग की और तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने तलाक देने के लिए कोई आधार नहीं बनाया था। अपीलकर्ता प्रतिवादी की ओर से क्रूरता साबित करने में विफल रहा।विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि प्रतिवादी-पत्नी ने कभी भी अपीलार्थी-पति को नहीं छोड़ा है, इसलिए वह क्रूरता, त्याग या विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक की डिक्री का हकदार नहीं है।इससे पहले भी अपीलार्थी-पति ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रोहतक की अदालत में तलाक की याचिका दायर की थी। हालाँकि, 21.12.2008 पर मामले से समझौता किया गया था, जिसके अनुसार पक्ष अपने सभी विवादों को हल करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत हुए और अपीलकर्ता तलाक की याचिका को वापस लेने के लिए सहमत हो गया, जबकि प्रतिवादी-पत्नी ने आश्वासन दिया कि वह वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखरखाव के लिए दायर आवेदन को वापस ले लेगी।प्रतिवादी के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का वर्णन एच. एम. ए. की खंड 13 के तहत याचिका में वर्णित नहीं था , इसलिए, अपीलकर्ता को दोषमुक्ति के फैसले का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो अपीलकर्ता द्वारा दायर एच. एम. ए. की खंड 13 के तहत याचिका को खारिज करने वाले फैसले और डिक्री के बाद है। प्रतिवादी के खिलाफ केवल अस्पष्ट और आधारहीन आरोप लगाए गए हैं।इसलिए उन्होंने वर्तमान अपील को खारिज करने की मांग की।उनकी दलीलों के समर्थन में, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सेठ राम दयाल जाट बनाम लक्ष्मी प्रसाद 1 और मंगयाकारसी बनाम एम. युवराज 2 कोर्ट मे पेश किये ।

(11) हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

(12) वैवाहिक मामले नाजुक मानवीय और भावनात्मक संबंधों के मामले हैं।यह जीवनसाथी के साथ उचित समायोजन के लिए पर्याप्त खेल के साथ आपसी विश्वास, सम्मान, सम्मान, प्रेम और स्नेह की मांग करता है।संबंधों को सामाजिक मानदंडों के अनुरूप भी होना चाहिए। वैवाहिक आचरण अब ऐसे मानदंडों और बदली हुई सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वनाये गए कानून द्वारा शाषित होने लगे है इसे व्यक्तियों के हित के साथ-साथ व्यापक परिप्रेक्ष्य में

नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है, ताकि एक अच्छी तरह से बुना हुआ, स्वस्थ और अशांत और छिद्रपूर्ण समाज बनाने के लिए वैवाहिक मानदंडों को विनियमित किया जा सके।विवाह की संस्था सामान्य रूप से समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान और भूमिका निभाती है।

(13) यह निर्विवाद तथ्य है कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाह 19.11.1998 पर संपन्न किया गया था और इसे 23.11.1998 पर पंजीकृत किया गया था।24.08.1999 पर एक बच्चे, अर्थात् जलज का जन्म विवाह से हुआ था। अपीलकर्ता के अनुसार, अप्रैल, 2002 के महीने में, प्रतिवादी अपीलकर्ता की कंपनी छोड़ कर अपने माता-पिता के घर चली गई और अपीलकर्ता द्वारा उसे वापस लाने के लिए किए गए प्रयास व्यर्थ गए।यह प्रत्यर्थी-पत्नी का विशिष्ट मामला है कि उसने कभी भी अपीलकर्ता को नहीं छोड़ा और न ही उसके साथ कोई क्रूरता की।परिवार न्यायालय ने दोनों पक्षों के कथनों पर विचार करते हुए एच. एम. ए. की खंड 13 के तहत पति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

(14) उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, योग्यता के आधार पर अपील के साथ आगे बढ़ने से पहले, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्ष लगभग 12 वर्षों से अलग रह रहे थे, दिनांक 28.04.2014 के आदेश के अनुसार, पक्षों को इस न्यायालय के मध्यस्थता एव सुलह केंद्र के समक्ष 19.05.2014 पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था।हालांकि, कई मौकों पर पक्ष मध्यस्थ के सामने पेश नहीं हुए।इसलिए, मामले को निपटाने के लिए दोनों पक्षों के अभावपूर्ण दृष्टिकोण के कारण और निर्धारित अवधि समाप्त होने के कारण, मध्यस्थ ने मामले को इस न्यायालय को 14.08.2014 पर वापस भेज दिया।इस प्रकार, 20.02.2015 पर अपील स्वीकार कर ली गई।

(15) प्रत्यर्थी-पत्नी के व्यवहार से तंग आकर, इससे पहले भी अपीलकर्ता ने 2006 के No.58 वाले तलाक के लिए एक याचिका दायर की थी, जिसे लोक अदालत में भेजा गया था।21.12.2008 पर मामले से समझौता किया गया था और प्रतिवादी द्वारा वायु सेना के अधिकारियों को दी गई अपनी शिकायत को वापस लेने के आश्वासन पर और वरिष्ठ वायु सेना अधिकारी के समक्ष उसके द्वारा रखरखाव के लिए दायर आवेदन पर, अपीलकर्ता ने तलाक के लिए उक्त याचिका को वापस ले लिया था।

(16) अपना मामला साबित करने के लिए, प्रतिवादी-पत्नी मीनल गवाह बक्से में आर. डब्ल्यू. 1 के रूप में पेश हुईं।अपनी जिरह में उसने कहा है कि

यह सही है कि पहले लोक अदालत में मामले से समझौता किया गया था और उनके द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि वह रखरखाव के लिए अपने आवेदन के साथ-साथ अपने पति के खिलाफ वायु सेना के उच्च अधिकारियों को दिए गए आवेदन/शिकायत को वापस ले लेगी।रखरखाव के लिए आवेदन वापस नहीं लिया गया था।मैंने जुलाई 2001 से मार्च 2002 तक आर्मी पब्लिक स्कूल, जम्मू में काम किया।मैंने अगस्त, 2002 से फरवरी, 2003 तक M.K.J.K कॉलेज, रोहतक में भी काम किया।अब, मैं जुलाई, 2008 से मातूराम संस्थान में काम कर रहा हूँ।मुझे Rs.18,000/- से Rs.20,000/- प्रति माह का वेतन

मिल रहा है।मेरा बेटा जलज 8वीं कक्षा में इंडस पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है।मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड है।यह सही है कि मैं अपने नाम के साथ अपने पति का नाम नहीं लिखती।यह सही है कि मैंने अपने पति के खिलाफ उनके वरिष्ठ अधिकारियों के सामने शिकायत की थी क्योंकि वे मुझे अपने साथ नहीं रख रहे थे।मैं अपने पति से अक्टूबर, 2010 में मिला था।अक्टूबर, 2010 में मेरे पति भी मुझसे मिलने आए थे।मैं 20.04.2009 के बाद से अलग रह रहा हूँ।यह सही है कि हम शादी से पहले एक-दूसरे को जानते थे और यह एक प्रेम-सह-अरेंज्ड शादी थी।यह सही है कि मैं मार्च, 2000 तक श्रीनगर में रहा।आर्मी पब्लिक स्कूल, जम्मू में काम करते समय मैं अपने पति के साथ पिकनिक आदि पर जाता था। यह सही है कि हमारा संयुक्त बयान लोक अदालत के समक्ष 21.12.2008 पर दर्ज किया गया था।मैं 7-8 बार सिरसा गया।यह सही है कि मेरे पति वायु सेना अधिकारियों के आदेश के अनुसार मुझे और मेरे बच्चे को रखरखाव का भुगतान कर रहे हैं।यह सही है कि मैंने अपने शपथ पत्र में अपने माता-पिता का पता दिखाया है न कि अपनी बहन का पता, जो एच. No.2507, सेक्टर 1, रोहतक में रह रही है।

(17) प्रतिवादी-पत्नी के उपरोक्त बयान से यह स्वयंसिद्ध है कि उनके द्वारा स्थापित पूरे मामले को उनके अपने बयान से ध्वस्त कर दिया गया है जिसमें उन्होंने इतने शब्दों में स्वीकार किया है कि समझौते के बावजूद, जैसा कि आश्वासन दिया गया है, उन्होंने वायु सेना के अधिकारियों के समक्ष दायर शिकायत और वरिष्ठ वायु सेना अधिकारी के समक्ष रखरखाव के लिए आवेदन को वापस नहीं लिया था।उसके बयान से यह भी स्पष्ट है कि समझौते के बाद भी वह अपीलकर्ता के साथ नहीं रही थी, बल्कि 7-8 बार सिरसा में उससे मिलने गई थी।

(18) प्रतिवादी-मीनल के पिता आर. डब्ल्यू. 2 भगत सिंह मलिक ने भी इसी तरह से व्यान किया।उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता (अपीलार्थी इसमें) मेरी उपस्थिति में किसी भी तरह से प्रतिवादी को कभी नहीं पीटा।मैं तारीख, महीना और साल नहीं बता सकता जब याचिकाकर्ता द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था।मुझे नहीं पता कि प्रतिवादी ने अपने आचरण के बारे में वायु सेना में याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिकारियों को कोई शिकायत दर्ज कराई थी या नहीं।रोहतक में मेरे घर पर मेरी बेटी को चाकू से धमकाने की कथित घटना हुई थी।मैंने याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी को चाकू दिखाकर धमकी देने की उक्त घटना नहीं देखी।हालाँकि, मेरी पत्नी ने उक्त घटना को देखा था।बच्चा कभी मेरे घर से और कभी मेरी बड़ी बेटी पुष्पा के घर से स्कूल जाता है।मैं यह नहीं बता सकता कि मेरी बेटी किस साल से रोहतक में मेरे साथ रह रही है।

(19) वर्तमान अपील विचाराधीनता रहने के दौरान, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 1 (अनुलग्नक पी-ए) के रिकॉर्ड निर्णय को रखा है, जिसके तहत अपीलकर्ता को भा.दं.सं. सी. की धारा 498-ए, 406,313,323 और 506 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया है। अपीलकर्ता-पति और उसके माता-पिता, बी. एस. यादव (पिता) और उषा रानी (मां) के खिलाफ प्रतिवादी-पत्नी की दिनांक 1 की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।जाँच के दौरान,

अपीलकर्ता के माता-पिता को निर्दोष पाया गया।लगभग साढ़े चार साल तक मुकदमे का सामना करने के बाद अपीलकर्ता को आरोपों से बरी कर दिया गया है क्योंकि प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे पाए गए थे।

(20) एक अन्य तर्क जो प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता की ओर से व्यक्त किया गया है, वह यह है कि आपराधिक शिकायत दर्ज करने का अनुरोध याचिका में ही नहीं किया गया है।जैसा कि हम इसे देखते हैं, आपराधिक शिकायत पति की तलाक याचिका दायर करने के बाद पत्नी द्वारा दायर की गई थी, और बाद की घटनाओं को अदालत द्वारा देखा जा सकता था।किसी भी घटना में, दोनों पक्ष क्रूरता के इस पहलू से पूरी तरह से अवगत थे जो कथित रूप से पति द्वारा झेला गया था।इसलिए हम उनकी ओर से उठाए गए इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं।

(21) प्रतिवादी पत्नी ने भी अपीलार्थी-पति के करियर और प्रतिष्ठा को नष्ट करने पर जोर दिया क्योंकि उसने उसके खिलाफ शिकायतें वायु सेना में उनके वरिष्ठ अधिकारियों को की ।

(22) इस मोड़ पर, राज तलरेजा बनाम कविता तलरेजा, 2013 की सिविल अपील No.10719 निर्णय 24.04.2017 सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित फैसले का संदर्भ देना महत्वपूर्ण है। जिसमें, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पत्नी द्वारा पति के खिलाफ एक झूठी शिकायत दर्ज की गई थी, जब पत्नी ने स्वयं अपने व्यक्ति को चोट पहुँचाई थी।आपराधिक कार्यवाही में पति को बरी कर दिया गया था और उसके बाद पत्नी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी।इस आधार पर, पति को क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री का हकदार ठहराया गया था।इसे आगे देखा गया जैसा कि यहाँ दिया गया हैः-

“9. के. श्रीनिवास राव बनाम डी. ए. दीपा, 2013 (2) आर. सी. आर. (सिविल) 232 के पैरा 16 में इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

“16. इस प्रकार, समर घोष बनाम जया घोष, 2007 (4) एस. सी. सी. 511 में उल्लिखित मानसिक क्रूरता के उदाहरणों में हम कुछ और जोड़ सकते हैं। अभिवचनों में पति या पत्नी या उनके रिश्तेदारों के खिलाफ निराधार अभद्र मानहानिकारक आरोप लगाना, शिकायतें दर्ज करना या नोटिस या समाचार जारी करना जिससे व्यवसाय की संभावना या पति या पत्नी की नौकरी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और पति या पत्नी के खिलाफ अदालत में बार-बार झूठी शिकायतें और मामले दर्ज करना, एक मामले के तथ्यों में, दूसरे पति या पत्नी के लिए मानसिक क्रूरता पैदा करने के बराबर होगा।”

रवि कुमार बनाम जुल्मीदेवी, 2010 (2) आर. सी. आर. (सिविल) 178 में, इस न्यायालय ने क्रूरता की परिभाषा पर विचार करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

“19. यह सच हो सकता है कि उक्त अधिनियम के तहत क्रूरता की कोई परिभाषा नहीं है। वास्तव में ऐसी परिभाषा संभव नहीं है।वैवाहिक संबंधों में, क्रूरता का मतलब स्पष्ट रूप से पति-पत्नी के बीच आपसी सम्मान और समझ की

अनुपस्थिति में होगी जो रिश्ते को खराब करती है और अक्सर व्यवहार के विभिन्न प्रकोपों की ओर ले जाती है जिसे क्रूरता कहा जा सकता है।वैवाहिक संबंधों में कभी क्रूरता हिंसा का रूप ले सकती है, कभी-कभी यह एक अलग रूप ले सकती है।कभी-कभी, यह सिर्फ एक दृष्टिकोण या एक दृष्टिकोण हो सकता है।कुछ स्थितियों में मौन रहना क्रूरता हो सकती है।

20. इसलिए, वैवाहिक व्यवहार में क्रूरता किसी भी परिभाषा की अवहेलना करती है और इसकी श्रेणियों को कभी बंद नहीं किया जा सकता है।चाहे पति अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करे या पत्नी के साथ क्रूरता, 130

पति का निर्धारण और न्याय दिए गए मामले के पूरे तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, न कि किसी पूर्व निर्धारित कठोर सूत्र द्वारा।वैवाहिक मामलों में क्रूरता अनंत विविधता की हो सकती है-यह सूक्ष्म या क्रूर भी हो सकती है और इशारों और शब्दों से भी हो सकती है।यह संभवतः बताता है कि क्यों शेल्डन बनाम शेल्डन, (1966) 2 डब्ल्यू. एल. आर. 993 में लॉर्ड डेनिंग ने कहा कि वैवाहिक मामलों में क्रूरता की श्रेणियों को कभी भी बंद नहीं किया जाता है।

10. क्रूरता को कभी भी सटीकता के साथ परिभाषित नहीं किया जा सकता है। क्रूरता क्या है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। वर्तमान मामले में, ऊपर वर्णित तथ्यों से, यह स्पष्ट है कि पत्नी ने अपने पति, उसके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ लापरवाह, मानहानिकारक और झूठे आरोप लगाए, जिसका निश्चित रूप से उसके साथियों की नजर में उसकी प्रतिष्ठा को कम करने का प्रभाव पड़ेगा।यदि शिकायत दर्ज करने के लिए उचित कारण हैं तो केवल शिकायत दर्ज करना क्रूरता नहीं है। केवल इसलिए कि शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है या मुकदमे के बाद आरोपी को बरी कर दिया जाता है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के अर्थ के भीतर पत्नी के ऐसे आरोपों को क्रूरता के रूप में मानने का आधार नहीं हो सकता है।हालांकि, अगर यह पाया जाता है कि आरोप स्पष्ट रूप से झूठे हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि पति या पत्नी का दूसरे पति या पत्नी के खिलाफ झूठे आरोप लगाना क्रूरता का कार्य होगा।वर्तमान मामले में सभी आरोप झूठे पाए गए।बाद में, उसने एक और शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके पति ने कुछ अन्य लोगों के साथ उसके घर में घुसकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया।पुलिस ने जाँच में पाया कि न केवल शिकायत झूठी थी, बल्कि चोटें भी पत्नी द्वारा स्वयं लगाई गई थीं।इसके बाद पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 के तहत कार्यवाही शुरू की गई।

(23) इसी तरह जॉयदीप मजूमदार बनाम भारती जैसवाल मजूमदार में 2020 की सिविल अपील संख्या .3786-3787 निर्णय 26.02.2021 (लॉ फाइंडर डॉक

आईडी #1813316) पर पेश किया , जहां पत्नी द्वारा पति के वरिष्ठ अधिकारियों से मान हानिकारक शिकायतें की गई थीं और पत्नी द्वारा इस तरह की शिकायत को पति के करियर की प्रगति को प्रभावित करने के लिए माना गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह 'मानसिक क्रूरता' के बराबर है क्योंकि पति को पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों के कारण अपने जीवन और करियर में प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़े थे। अदालत ने क्रूरता के आधार पर पति को तलाक दे दिया था।हालांकि, उच्च न्यायालय ने परिवार न्यायालय के फैसले को पलट दिया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का निर्णय लेते समय समर घोष बनाम जया घोष 3 में पारित एक अन्य फैसले का उल्लेख किया, जिसमें यह कहा गया था कि मानसिक क्रूरता का मामला बनाने के लिए कोई समान मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता है और प्रत्येक मामले का निर्णय अपने तथ्यों पर आदेशना होगा।इसके अलावा, जॉयदीप मजूमदार के मामले (ऊपर) में, यह देखा गया था जैसा कि यहाँ दिया गया हैः-

“11. वर्तमान मामले की सामग्री से पता चलता है कि प्रतिवादी ने सेना में अपीलकर्ता के वरिष्ठों से कई मानहानिकारक शिकायतें की थीं, जिसके लिए अपीलकर्ता के खिलाफ सेना के अधिकारियों द्वारा एक कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी आयोजित की गई थी।मुख्य रूप से उनके लिए, अपीलार्थी के कैरियर की प्रगति प्रभावित हुई।प्रतिवादी अन्य अधिकारियों से भी शिकायत कर रहा था, जैसे कि राज्य महिला आयोग और अन्य मंचों पर मानहानिकारक सामग्री पोस्ट की है। उपरोक्त का शुद्ध परिणाम यह है कि अपीलार्थी के कार्यकाल और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा था।

12. जब अपीलकर्ता को प्रतिवादी द्वारा लगाए गए आरोपों के कारण अपने जीवन और कार्यकाल में प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ते हैं, तो कानूनी परिणाम आने चाहिए और उन्हें केवल इसलिए रोका नहीं जा सकता क्योंकि किसी भी न्यायालय ने यह निर्धारित नहीं किया है कि आरोप झूठे थे।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने महसूस किया कि पत्नी के आरोप की विश्वसनीयता पर किसी भी निश्चित निष्कर्ष के बिना,अन्याय करने वाले जीवन साथी राहत के हकदार नहीं होंगे।यह समस्या से निपटने का सही तरीका नहीं पाया गया है।

13. उपरोक्त समझ के साथ आगे बढ़ते हुए, जिस प्रश्न का उत्तर यहाँ दिए जाने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या प्रतिवादी का आचरण मानसिक क्रूरता के दायरे में आएगा।यहाँ आरोप एक उच्च शिक्षित जीवनसाथी द्वारा लगाए गए हैं और उनमें अपीलकर्ता के चरित्र और प्रतिष्ठा को अपूरणीय रूप से नुकसान पहुँचाने की प्रवृत्ति है।जब जीवनसाथी की प्रतिष्ठा उसके सहयोगियों, उसके वरिष्ठों और बड़े पैमाने पर समाज के बीच धूमिल होती है, तो प्रभावित पक्ष द्वारा इस तरह के आचरण के लिए माफी की उम्मीद करना मुश्किल होगा।”

(24) निस्संदेह, प्रतिवादी द्वारा आपराधिक शिकायत की गई थी अपीलकर्ता-पति द्वारा तलाक याचिका दायर करने के बाद, हालांकि, तथ्य यह है कि पहले भी उसने अपीलकर्ता के खिलाफ वायु सेना में उसके वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज की थी, जिसे उसने अपीलकर्ता-पति द्वारा तलाक के लिए उक्त याचिका को वापस लेने के बाद वापस लेने का आश्वासन दिया था।शिकायत दर्ज

करना और आधारहीन और झूठी पाई जाने वाली आपराधिक कार्यवाही शुरू करना, पति और उसके परिवार को परेशान और प्रताड़ित करता है।ऐसी एक शिकायत वैवाहिक क्रूरता का गठन करने के लिए पर्याप्त है।इस संबंध में, के. श्रीनिवास बनाम सुनीता (ऊपर) का संदर्भ दिया गया है।

(25) के. श्रीनिवास राव बनाम डी. ए. दीपा (ऊपर) में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक शिकायत की जांच की थी, जिसमें पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसके पति की मां ने उसे अपने पति के पिता के साथ सोने के लिए कहा था।यह आरोप झूठा पाया गया और यह पति के प्रति अत्यधिक मानसिक क्रूरता के बराबर था।अंततः पति को तलाक दे दिया गया।माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें टिप्पणी की है -

"28. अंतिम विश्लेषण में, हम मानते हैं कि प्रत्यर्थी-पत्नी ने अपने आचरण से, अपीलार्थी-पति के प्रति मानसिक क्रूरता पैदा की है और विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है।विवाह के विघटन से दोनों पक्षों के दर्द और पीड़ा से राहत मिलेगी।इस न्यायालय में, प्रत्यर्थी-पत्नी ने व्यक्त किया कि वह अपीलार्थी-पति के पास वापस जाना चाहती है, लेकिन, अब यह संभव नहीं है।अपीलार्थी-पति उसे वापस लेने के लिए तैयार नहीं है।भले ही हम अपीलार्थी-पति को तलाक की डिक्री देने से इनकार करते हैं, लेकिन प्रतिवादी-पत्नी के अपीलार्थी-पति के साथ खुशहाल जीवन जीने की शायद ही कोई संभावना है क्योंकि प्रतिवादी-पत्नी के आचरण से बहुत कड़वाहट पैदा होती है।"

(26) अपने पति और सास-ससुर के खिलाफ निराधार, अभद्र और मानहानिकारक आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करने में प्रतिवादी-पत्नी का आचरण इंगित करता है कि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए कि अपीलकर्ता और उसके माता-पिता को जेल में डाल दिया जाए और अपीलकर्ता को उसकी नौकरी से हटा दिया जाए।हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी-पत्नी के इस आचरण ने अपीलार्थी-पति के प्रति मानसिक क्रूरता पैदा की है।(27) वर्तमान अपील में विचार के लिए मुद्दा यह होगा कि क्या पति और पत्नी का संबंध समाप्त हो गया है और यदि प्रतिवादी-पत्नी अपीलार्थी-पति को सहमति से तलाक देने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या उसका यह कार्य पति के प्रति क्रूरता के बराबर होगा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह पिछले बीस वर्षों से अपने पति के साथ नहीं रह रही है और इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि वे ऐसा पुनः पति और पत्नी के रूप में फिर से सहवास कर सकते हैं।इस विषय में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले चंद्र कला त्रिवेदी बनाम डॉ. S.P.Trivedi का संदर्भ दिया जा सकता है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय एक ऐसे मामले पर विचार कर रहा था जिसमें विवाह को अपरिवर्तनीय रूप से तोड़ दिया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इन मामलों में तलाक की डिक्री दी जा सकती है जहां दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए हैं कि विवाह व्यावहारिक रूप से मृत प्रतीत होता है और पक्ष एक साथ नहीं रह सकते हैं।

(28) इस स्तर पर ए. जयचंद्र बनाम अनील कौर के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है,

जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मानसिक क्रूरता सहित क्रूरता के आधार पर तलाक के मामले पर विचार करने का अवसर मिल रहा था।अभिलेख पर लाए गए अभिवचनों और साक्ष्यों की जांच करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायाधीशालय ने इस बात पर जोर दिया कि क्रूरता का आरोप ऐसी प्रकृति का है जिसमें विवाह को फिर से शुरू करना संभव नहीं है, हालांकि, विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विवाह का अपरिवर्तनीय टूटना एक वैधानिक आधार नहीं है जिसके आधार पर न्यायालय विवाह को भंग करने का निर्देश दे सकता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का विचार पूर्ण न्याय करने और लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई में लगे पक्षों की पीड़ा को कम करने का है, जो उन मामलों में विवाह को भंग करने के लिए निर्देशित है।पैरा 17 में इसे निम्नानुसार देखा गया हैः-

"17. कई निर्णय, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क देने के लिए उद्धृत किए गए थे कि भले ही विवाह टूट गया हो, तलाक की डिक्री को पारित नहीं किया जा सकता है।इन सभी मामलों में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि चरम मामलों में अदालत इस आधार पर विवाह को भंग करने का निर्देश दे सकती है कि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया था जैसा कि श्याम सुंदर मामले के पैरा 9 से स्पष्ट है।प्रत्येक अन्य मामले में तथ्यात्मक स्थिति भी अलग-अलग है।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि शारीरिक जरुरत की लंबे समय तक की अनुपस्थिति में तलाक का आधार नहीं हो सकती है यधपि यह पति के आचरण के कारण था।श्याम सुंदर के मामले में यह उल्लेख किया गया था कि पति व्यभिचारी जीवन जी रहा था और वह अपनी पत्नी द्वारा अपनी कंपनी को छोड़ने का फायदा नहीं उठा सकता था। यद्यपि उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय द्वारा अभिनिर्धारित किया कि उक्त मामला समान था, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों केसो के तथ्यात्मक अंतर पर ध्यान देने में विफल रहे । यह सच है कि विवाह का अपरिवर्तनीय टूटना उन वैधानिक आधारों में से एक नहीं है जिन पर अदालत विवाह को भंग करने का निर्देश दे सकती है, इस न्यायाधीशालय का विचार पूर्ण न्यायाधीश करने और लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई में लगे पक्षों की पीड़ा को कम करने का है, जो उन मामलों में विवाह को भंग करने के लिए निर्देशित है।लेकिन जैसा कि स्वयं उक्त मामलों में उल्लेख किया गया है, वे असाधारण मामले थे।"

(29) माननीय उच्चतम न्यायालय नवीन कोहली बनाम नीतू कोहली 6 के मामले में विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के मामले पर विचार कर रहा था।इस मामले में, पत्नी लंबे समय से अलग रह रही थी, लेकिन आपसी सहमति से तलाक नहीं चाहती थी, केवल अपने पति का जीवन दयनीय बनाने के लिए।इस प्रकार, तलाक का फरमान दिया गया और इसे एक क्रूर व्यवहार माना गया और यह दिखाया गया कि शादी अपरिवर्तनीय रूप से टूट गई थी।पैरा 62,67,68 और 69 में यह निम्नानुसार देखा गया हैः-

"62. इस स्तर पर भी, प्रतिवादी आपसी सहमति से तलाक नहीं चाहता है।पूरे साक्ष्य के विश्लेषण और मूल्यांकन से, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने केवल अपीलकर्ता के लिए भी जीवन को एक दयनीय नरक बनाने के लिए पीड़ा में रहने

का संकल्प लिया है।इस मामले के तथ्यों के संदर्भ में इस प्रकार का अडिग और कठोर रवैया हमारे मन में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि प्रतिवादी अपीलकर्ता के साथ मानसिक क्रूरता का व्यवहार करने पर आमादा है।यह बहुत स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया था और उनके एक साथ आने या फिर से एक साथ रहने की कोई संभावना नहीं है।उच्च न्यायालय को यह कल्पना करनी चाहिए थी कि इस तरह के विवाह का संरक्षण पूरी तरह से अव्यवहारिक है जो प्रभावी होना बंद हो गया है और पक्षकारों के लिए दुख का बड़ा स्रोत होगा।

XXX XXX XXX

67. उच्च न्यायालय को यह विचार करना चाहिए था कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर मानवीय समस्या का उचित समाधान किया जा सकता है।तत्काल मामले में, तलाक की डिक्री नहीं देना पक्षों के लिए विनाशकारी होगा।अन्यथा, पक्षकारों के लिए आशा की एक किरण हो सकती है कि समय बीतने के बाद (तलाक की डिक्री प्राप्त करने के बाद) पक्षकार मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से स्थिर हो सकते हैं और जीवन में नया अध्याय शुरू कर सकते हैं।

68. हमारे सुविचारित विचार में, मामले के विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को दरकिनार कर दिया।हमारी राय में, विवेक जीवन की व्यावहारिक वास्तविकता को स्वीकार करने और एक निर्णय लेने में निहित है जो अंततः दोनों पक्षों के हित में अनुकूल होगा।

69. नतीजतन, हम उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार करते हैं और निर्देश देते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार पक्षों के बीच विवाह को भंग कर दिया जाना चाहिए।मामले के असाधारण तथ्यों और परिस्थितियों में, सभी संबंधितों के हित में समस्या का समाधान करने के लिए, पक्षकारों के बीच विवाह को भंग करते हुए, हम अपीलकर्ता को आठ सप्ताह के भीतर भुगतान किए जाने वाले स्थायी भरण-पोषण के लिए प्रतिवादी को 25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये) का भुगतान करने का निर्देश देते हैं।इस राशि में निचली अदालत के निर्देश पर अपीलकर्ता द्वारा जमा किए गए रुपये (ब्याज के साथ पांच लाख रुपये) शामिल होंगे।प्रतिवादी इस राशि को ब्याज के साथ निकालने के लिए स्वतंत्र होगा।इसलिए, अब अपीलकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिवादी को केवल Rs.20,00,000/- (बीस लाख रुपये) का भुगतान करेगा।यदि अपीलकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर ऊपर दर्शाई गई राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो हमारे द्वारा दिए गए निर्देश का कोई लाभ नहीं होगा और अपील खारिज हो जाएगी।स्थायी भरण-पोषण प्रदान करते समय हमने अपीलकर्ता की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखा है।"

(30) वर्तमान मामले में, पक्षों के बीच विवाह अपरिहार्य रूप से टूट गया था और उनके एक साथ आने या फिर से एक साथ रहने की कोई संभावना नहीं है।इसके अलावा, तलाक की डिक्री नहीं देना पक्षों के लिए विनाशकारी होगा।

(31) माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने समर घोष (उपरोक्त) के एक मामले में मानसिक क्रूरता के आधार पर आदेश पारित किया,

लेकिन भारत के विधि आयोग की 71वीं रिपोर्ट का हवाला देते हुए विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की गई है।

(32) के. श्रीनिवास राव बनाम डी. ए. दीपा (उपरोक्त) के एक मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हालांकि हिंदू विवाह अधिनियम 136 के तहत विवाह का अपरिवर्तनीय टूटना तलाक का आधार नहीं है। हालाँकि, विवाह अधिनियम, जो सभी उद्देश्यों के लिए मृत है, को अदालत के फैसले से पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, यदि पक्षकार इच्छुक नहीं हैं क्योंकि विवाह में मानवीय भावनाएँ और भावनाएँ शामिल हैं और यदि वे सूख गए हैं, तो अदालत के आदेश द्वारा बनाए गए कृत्रिम पुनर्मिलन के कारण उनके जीवन में वापस आने की शायद ही कोई संभावना है।

(33) अब, एक बार जब प्रतिवादी-पत्नी जो पिछले लगभग 20 वर्षों से अपीलकर्ता के साथ नहीं रह रही है और अपीलकर्ता-पति को आपसी सहमति से तलाक देने के लिए तैयार नहीं है, तो इस स्तर पर नवीन कोहली के मामले (ऊपर) का संदर्भ दिया जा सकता है, जो क्रूरता (शारीरिक और मानसिक) का मामला था, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने की अवधारणा पर विचार किया।इस मामले में भी दोनों पक्ष पिछले 10 साल से अलग रह रहे थे और पत्नी पति को तलाक देने को तैयार नहीं थी।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तलाक का आदेश दिया लेकिन पति को स्थायी भरण-पोषण के लिए Rs.25 लाख की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।पैरा 58 में यह निम्नानुसार देखा गया हैः-

"58. उच्च न्यायालय को एक-दूसरे के खिलाफ पक्षों द्वारा शुरू की गई सभी आपराधिक और अन्य कार्यवाही के नतीजों, परिणामों, प्रभाव और प्रभावों पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करना चाहिए था।उदाहरण के लिए, उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है कि जहां तक समाचार के प्रकाशन का संबंध है, एक पंजीकृत कंपनी में पति की स्थिति केवल एक कर्मचारी की थी और यदि कोई समाचार प्रकाशित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में, यह किसी भी तरह से कल्पना से पति की प्रतिष्ठा को कम नहीं कर सकता था।फैसले के अगले पैरा 69 में कहा गया है कि एक समाचार में जो संकेत दिया गया है, वह यह है कि निखिल रबर (पी) लिमिटेड कंपनी में, अपीलकर्ता श्रीमती नीलू कोहली के साथ केवल एक निदेशक थी, जिनके पास कंपनी में Rs.100 का 94.5% हिस्सा था।खबर ने आगे संकेत दिया कि नवीन कोहली निखिल रबर (पी) लिमिटेड के संगठन के अनुच्छेद की भावना के खिलाफ काम कर रहे थे, जिससे व्यापार और सद्भावना को भारी नुकसान हुआ था।उन्होंने कंपनी के उत्पादों को चुपके से हटा दिया है, इसके अलावा विदेशी खरीदारों के ऑर्डर को अपनी स्वामित्व फर्म मेसर्स नवनीत इलास्टोमर्स को भेज दिया है।उन्होंने श्रीमती नीलू कोहली के जाली हस्ताक्षर और कंपनी के निदेशक मंडल के मनगढ़ंत प्रस्ताव के साथ बैंक खाता खोला था।सांविधिक प्राधिकरण-कंपनी अधिनियम ने द्वारा दायर दस्तावेजों को पंजीकृत करने से इनकार कर दिया था।श्री नवीन कोहली ने कारणदर्शक नोटिस जारी किया था।सभी व्यावसायिक सहयोगियों को उसके साथ अकेले व्यवहार करने से बचने के लिए आगाह किया गया था।श्री नवीन कोहली के कृत्यों के लिए न तो कंपनी और न ही श्रीमती नीलू कोहली उत्तरदायी होंगी।उपरोक्त निष्कर्ष के

बावजूद कि समाचार आइटम का उद्देश्य व्यावसायिक सहयोगियों को अपीलकर्ता के साथ व्यवहार करने से बचने के लिए आगाह करना था, फिर अगले पैरा में इस निष्कर्ष पर आना कि यह कल्पना के किसी भी विस्तार से मानसिक क्रूरता का परिणाम नहीं होगा, पूरी तरह से असमर्थनीय है।"

(34) यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक बार जब पक्ष अलग हो जाते हैं और पर्याप्त समय तक अलगाव जारी रहता है और उनमें से किसी ने भी तलाक के लिए याचिका प्रस्तुत की है, तो यह अच्छी तरह से माना जा सकता है कि शादी टूट गई है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय को पक्षों के बीच सुलह करने का गंभीरता से प्रयास करना चाहिए; फिर भी, यदि यह पाया जाता है कि टूटना अपूरणीय है, तो तलाक को नहीं रोका जाना चाहिए।लंबे समय से प्रभावी नहीं रहने वाले अव्यवहारिक विवाह के कानूनी संरक्षण के परिणाम पक्षों के लिए अधिक दुख का स्रोत होने के लिए बाध्य हैं।

(35) वर्तमान मामले में, अपीलार्थी-पति और प्रतिवादी-पत्नी अप्रैल, 2002 से अलग रह रहे हैं।सबसे पहले, मध्यस्थता की प्रक्रिया द्वारा से वैवाहिक विवाद को हल करने के प्रयास किए गए, जो व्यक्तिगत विवाद को हल करने में वैकल्पिक तंत्र के प्रभावी तरीकों में से एक है, लेकिन व्यर्थ है।

(36) वर्तमान मामले के तथ्यों के साथ उपर्युक्त निर्णयों के अनुपात को लागू करते हुए और मामले के असाधारण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपील की अनुमति दी जाती है, जिला न्यायाधीश, रोहतक द्वारा पारित दिनांकित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है और तलाक की डिक्री तदनुसार अपीलार्थी-पति के पक्ष में दी जाती है।तदनुसार आदेश-पत्र तैयार किया जाए। हालाँकि, हम अपीलार्थी-पति को प्रतिवादी-पत्नी के नाम पर स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में Rs.20 लाख का एफ. डी. बनाने का निर्देश देते हैं।

डॉ. पायल मेहता

अश्विकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सका है ! सभी वय्हावरिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा !

YASHPAL GUPTA,TRANSLATOR